राजस्थान–सरकार
समाज कल्याण विभाग

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (जनश्री बीमा योजना) से सम्बन्धित दिशा निर्देश

1. माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 के बजट में गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले प्रत्येक परिवार को बीमा का लाभ देने के लिए
' 'पन्नाधाय जीवन अमृत योजना'' की घोषणा की गई है। इस योजना को 14 अगस्त 2006 से राजस्थान राज्य में भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के रूप में लागू कि जाने का निर्णय लिया गया है।

2. ''पन्नाधाय जीवन अमृत योजना'' के अन्तर्गत बीमित परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर 20,000 रूपये देने का प्रावधान किया गया है तथा दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में 50,000 रूपये देने का प्रावधान किया गया हैं। इस योजना में शारीरिक अपंगता होने पर भी सहायता राशि भुगतान करने का प्रावधान हैं। बीमित सदस्य के कक्षा 9 से कक्षा 12 तक दो बच्चों को 100/–प्रतिमाह की दर से प्रतिवर्ष तिमाही आधार पर छात्रवृति देने का प्रावधान भी इस योजना के अन्तर्गत है। यह योजना राज्य सरकार द्वारा समाज के निर्धनतम परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से प्रारम्भ की जा रही है। इस योजनान्तर्गत बीमित परिवार के बीमित सदस्य के लिए बीमा की प्रीमियम राशि 200/–रू.प्रति बीमित सदस्य प्रतिवर्ष निर्धारित है। इस राशि में से 100/–रू राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान किया जायेगा तथा 100/–रू का अंशदान भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जायेगा। इस योजना का नोडल विभाग समाज कल्याण विभाग,राजस्थान सरकार होगा। इस येाजना के लागू होने के साथ
ही राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना जिसके अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर उसके परिवार को मात्र 10,000/–रूपये की सहायता दिये जाने की व्यवस्था थी,यह योजना समाप्त हो जायेगी तथा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए अधिक लाभप्रद है, इस योजना का स्थान ले लेगी।

3. राज्य सरकार की कार्यकारी एजेंन्सीः–

(1) इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में पदस्थापित ग्राम सेवक के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्र में नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी /आयुक्त /मुख्य कार्यकारी के माध्यम से किया जायेगा।

(2) इस योजना के क्रियान्वयन की मोनिटरिंग ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं शहरी क्षेत्र में शासन सचिव,स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार करेगें।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्रों में
अधिशाषीअधिकारी/आयुक्त/मुख्य
कार्यकारी अधिकारी इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति के परिवार को लाभ

दिलाने के संबंध में आवश्यक दावा आवेदन पत्र/छात्रवृति आवेदनपत्र सूचनाएं भारतीय
जीवन बीमा निगम को प्रेषित करने के लिए राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा एवं योजना से संबंधित समस्त रिकार्ड का संधारण करेगा।

(4) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक जीवन बीमा निगम को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदनपत्रों/छात्रवृति आवेदनपत्रों की सूचना सम्बन्धित पंचायत समिति में आयोजित होने वाली मासिक बैठक में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा जिनकी समीक्षा कर विकास अधिकारी जीवन बीमा निगम से प्रतिमाह निस्तारण की कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार कर बीमित व्यक्ति के परिवार को बीमा एवं छात्रवृति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगें।

(5) ग्राम सेवक के पदस्थापन नही होने, अवकाश पर रहने या अन्य किसी कारण से उपलब्ध न होने की स्थिति में इस योजनान्तर्गत कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित पंचायत समिति का विकास अधिकारी राज्य सरकार का अधिकृत प्रतिनिधि होगा।

(6) शहरी क्षेत्रों में जिला परियोजना/परियोजना/नोडल अधिकारी के द्वारा प्रतिमाह आयोजित बैठकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी जीवन बीमा निगम को प्रतिमाह भिजवाये गये बीमा दावा आवेदन पत्रों/छात्रवृति आवेदन पत्रों की सूचना प्रस्तुत करेंगे। जिनकी समीक्षा कर जिला
परियोजना/परियोजना/नोडल
अधिकारी जीवन बीमा निगम से प्रतिमाह निस्तारण की कार्यवाही हेतु पत्र व्यवहार कर बीमित व्यक्ति के परिवार को बीमा एवं छात्रवृति का लाभ दिलाना सुनिश्चित करेगें ।

(4). भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय का पताः–
इस योजना के अन्तर्गत बीमा विकल्प पत्र बीमा दावा आवेदन पत्र,छात्रवृति आवेदन पत्र भेजना एवं पत्र व्यवहार भारतीय जीवन बीमा निगम,पेंशन एवं सामूहिक बीमा इकाई जीवन प्रकाश,द्वितीय तल,भवानी सिंह रोड, जयपुर से किया जायेगा।

(5). बी.पी.एल.परिवार के व्यक्ति को बीमा लाभः–

(1) पात्रताः–राजस्थान सरकार द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की जारी की गई सूची में उल्लेखित परिवार का मुखिया, जिसकी आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष(दोनो तिथियां सम्मिलित तथा आयु पिछले जन्मदिन पर) के बीच हो। ऐसे परिवार के मुखिया की आयु 60वर्ष से एक दिन भी अधिक होने की स्थिति में उनके परिवार कार्ड में उल्लेखित वरिष्ठतम(सबसे बडा) व्यक्ति पात्र होगा। मुखिया को यह भी विकल्प होगा कि वह चाहे तो अपने को बीमित कराये या मुख्य आजीविका कमाने वाले का बीमा कराये। मुखिया द्वारा इस सम्बन्ध में दिया गया विकल्प पत्र योजना लागू होने के तीन माह की अवधि में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्रामसेवक या सम्बन्धित नगरपालिका/नगरपरिषद/नगर निगम के अधिशाषी अधिकारी/ आयुक्त कार्यकारी अधिकारी के माध्यम से भारतीय जीवन

बीमा निगम के जयपुर कार्यालय में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति विकल्प दे रहा है वह तथा जिसका बीमा प्रस्तावित किया गया है। वह दोनों ही व्यक्ति विकल्प बीमा कार्यालय में पहुचने के समय तक जीवित होने चाहिए । विकल्प देने का प्रपत्र (अनुलग्नक–1)संलग्न है।

(3) मनोनयन–बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी अथवा पति को बीमा राशि भुगतान करने के लिए मनोनीत माना जायेगा। बीमित व्यक्ति की पत्नी/पति के जीवित नहीं होने पर बीमित व्यक्ति के परिवार कार्ड में अंकित सबसे बडी सन्तान को मनोनीत माना जावेगा। बीमित व्यक्ति की पत्नी अथवा पति या किसी बच्चे के जीवित नहीं होने की स्थिति में बी.पी.एल. परिवार की सूची में अंकित ऐसे परिवार के सबसे बडे सदस्य का स्वतः नामितिकरण (नोमिनेशन) का प्रावधान है ।

(4) हित लाभः–

(1) इस योजनान्तर्गत बीमित व्यक्ति के नामित सदस्य को निम्नांकित लाभ देय होगा, जिसका भुगतान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जायेगा।

(अ) सामान्य मृत्यु होने की दशा में 20 हजार रूपये।

(ब) दुर्घटना होने की स्थिति में :–

(क) मृत्यु होने पर 50 हजार रूपये।

(ख) स्थायी पूर्ण शारीरिक अपगंता होने पर 50 हजार रूपये।

(ग) 2 आंखे या 2 हाथ/पैर (Limb) या एक आंख व एक हाथ/पैर (Limb) की क्षति होने पर 50 हजार रूपये ।

(घ) एक आंख या एक हाथ/पैर (limb) की क्षति होने पर 25 हजार रूपये ।

(2) यहां पर दुर्घटना के कारण मृत्यु/ स्थायी पूर्ण अपगंता का अर्थ मृत्यु अथवा अपगंता से है जो कि दुर्घटना होने से 3 कलेण्डर माह के मध्य की हो। इसमें कोई जानबूझकर स्वयं को पहुंचाई गई चोट आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास अथवा
शराब नशीले पदार्थो का सेवन, दंगे, सिविल कोमोशन,विद्रोह,आक्रमण,युद्व,शिकार के कारण लगी चोट पर्वतारोहण आदि में लगी चोट अथवा मृत्यु सम्मिलित नहीं है।

6.प्रक्रियाः–

(1) राज्य सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय को गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले व्यक्तियों की प्रमाणित सूची उपलब्ध कराई जायेगी।

(2) इस योजना के अन्तर्गत बीमित व्यक्ति को प्रीमियम का भुगतान स्वयं के पास से नही करना है।

(3) बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में इस योजना के अन्तर्गत दावा भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय में मृत्यु की तिथि से 6 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। दावा प्रस्तुत करने का प्रपत्र(अनुलग्नक–2) संलग्न हैं। यह प्रपत्र ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा बीमित व्यक्ति के नामित व्यक्ति से स्वयं पूर्ण कराकर भारतीय जीवन जीवन बीमा निगम के जयपुर कार्यालय को भेजा जायेगा। नामित व्यक्ति द्वारा बैंक में बचत खाता खुलवाकर प्रपत्र में खाता संख्या/बैंक का नाम अंकित करना होगा । जीवन बीमा निगम द्वारा नामित व्यक्ति के खाते में बीमा राशि का चैक भेजा जायेगा । बिलम्व की स्थिति में दावा जीवन बीमा निगम द्वारा अस्वीकार करने का प्रावधान है । अतः ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र का संबंधित ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के उत्तरदायित्व निर्धारण को आकर्षित करेगी ।

7.दावा प्रस्तुत करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज

(1) मृत्यु प्रमाण पत्र	–	सामान्य एवं दुर्घटना की दशा में मृत्यु होने पर
(2) पोस्टमार्टम रिपोर्ट	–	दुर्घटना के कारण मृत्यु की दशा में
(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट	–	दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में
(4) पुलिस अंवेक्षण रिपोर्ट	–	दुर्घटना के कारण मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में
(5) अधिकृत सरकारी चिकित्सक द्वारा अपंगता प्रमाण पत्र	–	दुर्घटना के कारण स्थाई अपंगता (अ) स्थायी पूर्ण अपंगता (ब) अंगों की हानि/दृष्टि हीनता

8. बीमित व्यक्ति के बच्चों को छात्रवृत्ति

(1) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के अन्तर्गत बीमित सदस्यों को अपने बच्चों के लिये शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान करने के उद्धेश्य से भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना के साथ शिक्षा सहयोग योजना का लाभ भी दिया गया है ।

(2) छात्रवृत्ति हेतु पात्रता

(अ) बीमित सदस्य के 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अधिकतम 2 बच्चों को देय है ।

(ब) अभिभावक का इस योजना के अधीन बीमित होना आवश्यक है ।
(स) छात्र के अनुत्तीर्ण होने की दशा में छात्रवृत्ति का भुगतान देय नहीं है ।
(3) छात्रवृत्ति लाभ

(अ) रूपये 100 प्रति छात्र प्रति माह अथवा रूपये 300/– प्रति छात्र प्रति तिमाही के आधार पर प्रति वर्ष 1200/– रूपये प्रति छात्र किन्तु अधिकतम 4 वर्षो के लिये देय है ।
(ब) छात्रवृत्ति का भुगतान शैक्षणिक वर्ष जून से मई तक की अवधि के लिये किया जाता है । वर्ष 2006–07 में छात्रवृत्ति बीमा योजना प्रारम्भ होने की अगली तिमाही से 12 महिनों के लिये देय होगी ।

(4) प्रक्रिया

(अ) छात्रवृति हेतु कोई प्रीमियम देय नहीं है । शिक्षा सहयोग योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है । छात्रवृत्ति का भुगतान भारत सरकार द्वारा स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि से किया जाता है । यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित है ।

(ब) दिशा–निर्देशों के पैरा 3(1) में अंकित कार्यकारी ऐजेन्सी द्वारा चयनित छात्रों की सूचना भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रस्तुत करने पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा छात्रवृत्ति का भुगतान कार्यकारी ऐजेन्सी के माध्यम से बीमित सदस्य को किया जायेगा ।
(स) ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सेवक एवं शहरी क्षेत्र में/अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीमित व्यक्ति के छात्रों के छात्रवृत्ति के आवेदन फार्मो को स्वयं पूर्ण कराकर विद्यालय के संस्था प्रधान से प्रमाणित करवा कर भारतीय जीवन बीमा निगम के अधिकृत कार्यालय को भिजवायेगें ।
(द) छात्रवृत्ति योजना में प्रयुक्त होने वाले प्रपत्र (अनुलग्नक 3,4,5)संलग्न है।

(य) जीवन बीमा निगम द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बीमित परिवार के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति की समेकित राशि अकाउण्टपेयी चैक से संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र के लिये संबंधित स्थानीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भिजवायी जायेगी । ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में अधिशाषी अधिकारी / आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राप्त छात्रवृत्ति का संबंधित छात्रों को भुगतान करने के लिये चैक द्वारा राशि एवं छात्रों की पूर्ण सूची (यथा नाम, पिता का नाम,पता,कक्षा,छात्रवृत्ति की अवधि एवं राशि) जिस विद्यालय में छात्र अध्ययनरत है, उस विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भिजवायेगा
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक छात्र को भुगतान कर रसीद की प्रति संबंधित विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगा । विकास अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त/मुख्यकार्यकारी अधिकारी छात्रवृत्ति का उपयोगिता प्रमाण पत्र जीवन बीमा निगम कार्यालय को भेजेगा ।